न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 564/2016 बउनवानी अहमद पुत्र छीतर गद्दी मुसलमान बनाम तहसीलदार स०मा० निवासी— मखौली तहसील सवाईमाधोपुर

उप0--1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, वकील अपीलान्ट 2. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
28.5.2018	प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार,2018 के तहत सुलह समझोते की भावना से निस्तारण किये जाने हेतु चिन्हित होने व कारण यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्ट स्वंय,वकील अपीलान्ट पैरोकार राजस्व एवं राजस्व लोक अदालत अभियान,2018 के सदस्यगण उपस्थित हैं। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा **मिसल संख्या 568/15 में ग्राम मखौली की आराजी ख0न0 715 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0मु0 चरनोत की भूमि में सम्वत् 2072 में बाडा बनाया जाना** अंकित करते हुये अतिक्रमी माना है एवं **दिनांक 9.11.2015** को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा विवादित अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील से अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया है कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने व पुनः अतिक्रमण नही करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कब्जा हटा लेने बाबत किये गये कथन का भौतिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनापत्ती प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्क विधि अनुरुप है, अतः अपील अपीलान्ट इस शर्त पर **आंशिक स्वीकार** की जाती है कि तहसीलदार **सवाईमाधोपुर** मौके पर जॉच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील द्वारा अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ समझी जावे एंव यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में भी पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 28.5.2018 को फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावें। आज सुनायी गयी। श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता सदस्य राजस्व लोक अदालत श्री हनुमान प्रसाद जैन सदस्य राजस्व लोक अदालत (के0सी0वर्मा) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	